

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF
GOVT. OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

NEW DELHI, Dated: 14-9-83

NOTIFICATION
INCOME-TAX

No. 5388 (F.No.261/15/83-ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the previous notification in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax circles, wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Range.	Income-tax Circles, Wards & District
1.	2.
1. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, New Delhi.	i) Central Circles-I to XXII, XXV & XXVI, New Delhi. ii) Companies Circles-II, VII, X, XIV & XIX, New Delhi iii) Special Circle-IXI XV, New Delhi iv) Special Circle-III, New Delhi v) Foreign Circle, New Delhi vi) Spl.Circle-II, II(Addl). Spl.Circle-IV & Spl. Circle-IV(Addl), New Delhi.
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, New Delhi	i) Companies Circles-I, IV, V, VI, VII, IX, XI, XVII, XVIII, XXI, XXIV & XXV & District-VI(13), New Delhi ii) Companies Circles-XII, XIII & XXIII. iii) Companies Circle-III, XVI & XX iv) Dist.-V(2), V(11), V(12), New Delhi v) Districts VIII(12), VIII(13), VIII(13) Addl. & VIII(14), New Delhi

1	2
	vi) Estate Duty Cum Income-tax Circles, New Delhi
	vii) Addl. Estate Duty Cum Income- tax Circles, New Delhi
3. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'C' Range, New Delhi	i) All Wards In Distt.V New Delhi except Distt.V(2), V(8), V(11) & V(12), New Delhi. ii) Addl. Survey Circle-IV.
4. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, New Delhi	i) Distt. VIII(1), (2), (2)Addl. (3), (4), (5), (6), (7), (8) & (9), New Delhi
5. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'E' Range, New Delhi	i) All Wards in Distt. - III-A, New Delhi
6. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'F' Range, New Delhi	i) All wards in Distt. III-B, New Delhi ii) All Transport Circles, New Delhi iii) Evacue Circles-III, New Delhi iv) Survey Circles-III, New Delhi
7. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'G' Range, New Delhi	i) All Wards in Distt-III-C, New Delhi
8. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'H' Range, New Delhi	i) All Wards in Distt-IV, New Delhi
9. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'J' Range, New Delhi	i) All Wards of District-II except II(14), (15) & (16), New Delhi
10. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'K' Range, New Delhi	i) All Private Salary Circles, New Delhi ii) All T.D.S. Circles, New Delhi
11. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'L' Range, New Delhi	i) Distt. VI(1), (1)Addl. (2), (3), (4), (5), (6), (6)Addl and 6(2nd) Addl. VI (15), New Delhi.
12. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'M' Range, New Delhi	i) All Contractors Circles, New Delhi ii) Companies circle-XXII, New Delhi.

1.	2.
	iii) Distt. VII(1) & (2), New Delhi iv) Distt. II(14), (15) & (16), New Delhi v) Refund Circles, New Delhi vi) Special Circles-VIII and VIII (Addl).
13. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'N' Range, New Delhi	i) All wards in Distt. X except X(3) X(11) and Spl. Circles. VI & X. New Delhi ii) Survey Circle-IV, New Delhi
14. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'O' Range, New Delhi	i) Distt. VIII(10), (11), (15), (16), (17), (17)Addl., (18), (19) & (19)Addl. New Delhi
15. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'P' Range, New Delhi	i) All Survey wards, New Delhi
16. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'Q' Range, New Delhi	i) All wards in Distt. VII except Distt. VII(1) & VII(2), New Delhi
17. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'R' Range, New Delhi	i) Distt. VI(7), VI(7)Addl., VI(8), VI(9), VI(10) & VI(11), New Delhi ii) All wards in Distt. III-D, New Delhi iii) All wards of Distt. IX, New Delhi iv) All wards in Distt. XI, New Delhi
18. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'S' Range, New Delhi	i) Special Circles-VI, VI(Addl) X, New Delhi ii) All Provident Funds Circle, New Delhi iii) Distt. III(19), III(20), III(21), III(22), III(23) & III(27), New Delhi iv) Spl. Circle XIV, New Delhi v) Spl. Circle XVI, New Delhi vi) All wards of Distt.-I, New Delhi vii) Distt. V(8), New Delhi viii) Distt. VI(12), New Delhi

1.	2.
19. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'T' Range, New Delhi	i) All Govt. Salary Circles, New Delhi ii) All Trust Circles.
20. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'U' Range, New Delhi.	i) All Chartered Accountant Circles, New Delhi ii) All Lawyers Circles, N. Delhi iii) All Doctors Circles, New Delhi iv) Distt. X(3), X(11) & X(11) Addl. New Delhi

Where an Income-tax Ward, Circle or District or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Ward, Circle or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the charge from whom the Income-tax Ward, Circle or District or part thereof is transferred are to be dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the charge to whom the said Ward, Circle, District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 15 - 4 - 1983.

(K.M. SULTAN)
UNDER SECRETARY
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:-

1. The CIT, Delhi-I, New Delhi
2. ADI(R&AP), Bulletin, New Delhi
3. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
4. ED Section/Ad. VI, Section, New Delhi
5. The Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Shastri Bhavan, New Delhi

(K.M. SULTAN)
UNDER SECRETARY
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14-9-83

जीएसटी
अधिनियम

सं० 5388 (संख्या 861/15/83-अप्रत्यक्ष): अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रत्यक्ष करों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्ववर्ती अधिनियमों में अतिरिक्त संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा अधिनियम 1961 की धारा 123 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम और अन्य सभी धारियों और अन्य के संशोधन के अधिनियम (अर्थात्) के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के अधिनियम (2) की धारा 123 में विनिर्दिष्ट अधिनियम धारों, परिचालन अधिनियमों में अधिनियम ^{राज्य} अधिनियम और सभी धारियों और अन्य के संशोधन में आने वाले अधिनियमों का निर्धारण करेंगे।

अधिनियम

क्र.सं.	अधिनियम, धारा तथा अधिनियम
1	2
I. अधिनियम अधिनियम	I) अधिनियम अधिनियम : से xx II, xx/ तथा xx/19 नई दिल्ली।
अधिनियम, धारा 'अ', नई दिल्ली।	II) अधिनियम अधिनियम : II, V, II, x, x, II तथा x, xx, नई दिल्ली।
	III) अधिनियम अधिनियम - x/1, नई दिल्ली।
	IV) अधिनियम अधिनियम - III, नई दिल्ली।
	V) अधिनियम अधिनियम, नई दिल्ली।
	VI) अधिनियम अधिनियम - III, III (अधिनियम) अधिनियम अधिनियम - II/ तथा अधिनियम अधिनियम - II/ (अधिनियम), नई दिल्ली।

(संख्या 000)

- 7* आ०क०म०, सी-वार्ड, परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 8* आ०क०म०, सी-वार्ड, इंदौर ।
- 9* आ०क०म०, ई-वार्ड, इंदौर ।
- 10* आ०क०म०, अतिरिक्त ई-वार्ड, इंदौर ।
- 11* आ०क०म०, ई-वार्ड, परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 12* अतिरिक्त आ०क०म०, ई-वार्ड, परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 13* आ०क०म०, एच-वार्ड, इंदौर ।
- 14* आ०क०म०, एच-वार्ड, परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 15* आ०क०म०, जे-वार्ड, इंदौर ।
- 16* आ०क०म०, जे-वार्ड, परिमण्डल-११, इंदौर ।
- 17* आ०क०म०, के-वार्ड, इंदौर ।
- 18* आ०क०म०, के-वार्ड, परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 19* आ०क०म०, गार-वार्ड, इंदौर ।
- 20* आ०क०म०, गार-वार्ड, परिमण्डल-११, इंदौर ।
- 21* आ०क० परिमण्डल, कंकवा ।
- 22* सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक, इंदौर ।
- 23* आ०क०म०, विशेष सम्पदा शुल्क और आ०क०परिमण्डल, इंदौर ।
- 24* आ०क०म०, विशेष जांच परिमण्डल, इंदौर ।
- 25* आ०क०म० (विशेष) जांच परिमण्डल, इंदौर ।
- 26* आ०क०म०, विशेष जांच परिमण्डल-१, इंदौर ।
- 27* आ०क०म०, विशेष जांच परिमण्डल-११, इंदौर ।
- 28* आ०क०म०, विशेष जांच परिमण्डल-१११, इंदौर ।
- 29* आ०क०म०, विशेष जांच परिमण्डल-(V), इंदौर ।
- 30* आयकर परिमण्डल, गार ।
- 31* आ०क०म० (दसुली और उगाडी वार्ड) परिमण्डल-१, इंदौर ।

1 2 3

32. अ०क०अ०, बी-वार्ड, इंदौर ।
(नैसा कि 15 जून, 1971 तक विद्यमान)
33. अ०क०अ०, स्त-वार्ड, इंदौर ।
34. अ०क०अ०, स्त-वार्ड, परिमण्डल-1, इंदौर ।
35. अ०क०अ०, रम-वार्ड, इंदौर ।
36. अ०क०अ०, रम-वार्ड, परिमण्डल-1, इंदौर ।
37. अतिरिक्त अ०क०अ०, रम-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
38. अ०क०अ०, रन-वार्ड, इंदौर ।
39. अ०क०अ०, रन-वार्ड, परिमण्डल-1, इंदौर ।
40. अ०क०अ०, बी-वार्ड, परिमण्डल-1, इंदौर ।
41. अ०क०अ०, रघु-वार्ड, इंदौर ।
42. अ०क०अ०, रघु-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
43. पंचम अतिरिक्त अ०क०अ०, रघु-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
44. द्वितीय अतिरिक्त अ०क०अ०, रघु-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
45. अ०क०अ० प्रशासन, इंदौर ।
46. अ०क० परिमण्डल, मउ ।
47. अ०क० परिमण्डल, देवास ।

2. अपीलीय सहायक
अध्यक्ष नियुक्त
बी-रैंज, इंदौर ।

1. अ०क०अ०, डी-वार्ड, इंदौर ।
2. अ०क०अ०, ई-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
3. अ०क०अ०, रफ-वार्ड, इंदौर ।
4. अ०क०अ०, रफ-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
5. अ०क०अ०, जी-वार्ड, इंदौर ।
6. अ०क०अ०, जी-वार्ड, परिमण्डल-1, इंदौर ।
7. अ०क०अ०, जी-वार्ड, परिमण्डल-11, इंदौर ।
8. अ०क०अ०, पी-वार्ड, परिमण्डल-इंदौर ।

1	2	3	4
		9* अ०क०अ०, पी० वाई, परिमण्डल-११, ईश्वर ।	
		10* अ०क०अ०, रस० वाई, परिमण्डल-११, ईश्वर ।	
		11* अ०क०अ०, विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल, ईश्वर ।	
		12* अ०क०अ०, सर्वेक्षण परिमण्डल, ईश्वर ।	
		13* अ०क०अ०, विशेष और सर्वेक्षण परिमण्डल वाई, परिमण्डल-११, ईश्वर ।	
		14* अ०क०अ०, विशेष सर्वेक्षण वाई, परिमण्डल-११, ईश्वर ।	
		15* अ०क०अ०, विशेष और सर्वेक्षण वाई, परिमण्डल-११, ईश्वर ।	
		16* अ०क० परिमण्डल, बारगा ।	
3* अपेक्षित सहायक		1* अ०क०अ०, र० वाई, उम्मेन ।	
अथ कर अयुक्त		2* अ०क०अ०, बी० वाई, उम्मेन ।	
उम्मेन रेंज, उम्मेन		3* अ०क०अ०, सी० वाई, उम्मेन ।	
		4* अ०क०अ०, डी० वाई, उम्मेन ।	
		5* अ०क०अ०, ई० वाई, उम्मेन ।	
		6* अ०क०अ०, र० वाई, रतलाय ।	
		7* अ०क०अ०, बी० वाई, रतलाय ।	
		8* अ०क० परिमण्डल, मंकोर ।	
		9* अ०क० परिमण्डल, नीमच ।	
4* अपेक्षित सहायक		1* अ०क० परिमण्डल, भीपाल ।	
अथ कर अयुक्त,		2* अ०क० परिमण्डल, इटारसी ।	
भीपाल रेंज, भीपाल ।		3* अ०क० परिमण्डल, देतु ।	
		4* अ०क० परिमण्डल, विविग ।	
5* अपेक्षित सहायक		1* अ०क० परिमण्डल, खातियर ।	
अथ कर अयुक्त,		2* अ०क० परिमण्डल, गुना ।	
खातियर रेंज, खातियर ।		3* अ०क० परिमण्डल, शिवपुरी ।	
		4* अ०क० परिमण्डल, मुरैन् ।	

जहाँ कोई अधिकार परिमण्डल, चाहे अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रैंज से किसी अन्य रैंज में अंतरित कर दिया जाता है। उस अधिकार परिमण्डल, चाहे अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गये क्र-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रैंज के उस अप्रतिष्ठ सहायक व्यक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी होती, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस अधिकार परिमण्डल, चाहे अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रैंज के उस अप्रतिष्ठ सहायक व्यक्त को अंतरित की जायेगी और उसके द्वारा निपटायी जायेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, चाहे अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो।

यह अधिसूचना

से लागू होगी।



(के. एम. सुलतान)

अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष -

कर बोर्ड

सेवा में,

प्रमुख,

भारत सरकार प्रेस,

मस्यपुरी, नई दिल्ली।